□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

तारांकित प्रश्न □ख□□: 290

13 □□□, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अपठनीय दवा नुस्खों के कारण मृत्यु

*290. □□॰ (प्रो॰) महेन्द्र मुंजपराः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार चिकित्सकों के अपठनीय दवा-नुस्खों को फार्मेसियों द्वारा गलत पढ़ने तथा उसके परिणामस्वरूप गलत दवाइयां देने के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु अथवा विकलांगता का रिकार्ड □□□□ □;□ □□

(□) □ि□ □□,□□ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-□□□ □त□□□ ब□□□□ क□□ □□तथा उसके राष्ट्रीय डाटा/आंकड़े क्या ह?

□त्त□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन)

(□) □□ (□): □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ ि□□□ □□□ □□□

[illegible] 13.03.2020 [illegible] प्रश्न [illegible] 290 [illegible]त्त [illegible]

([illegible]) [illegible] (ख): स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा केन्द्रीय स्तर पर ऐसे आंकड़े नहों रखे जाते। फिर भी, भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर आचरण, लोकाचार और आचार नीति) विनियमन, 2002 के खंड 1.5 म यह प्रावधान है कि प्रत्येक चिकित्सक को जेनेरिक नाम वाली औषधियाँ स्पष्ट रूप से तथा मुख्यतः बड़े अक्षरों म [illegible]क[illegible] यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि विवेकपूण तरीके से जैनेरिक औषधियाँ लिखी जाती ह तथा उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने दिनांक 21.04.2017 को एक परिपत्र जारी किया है जिसके तहत उपयुक्त प्रावधानों को अनुपालना हेतु सभी [illegible] मेडिकल प्रैक्टिशनरों को निदेश दिए गए ह। उपयुक्त विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने के लिए भारतीय चिकित[illegible]ज[illegible] चिकित्सा परिषदों को शक्तियाँ प्रदान को गई ह। जब कभी डॉक्टरों द्व[illegible] निर्धारित आचार नीति के उल्लंघन [illegible]ो कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी शिकायत को एमसीआई द्वारा उन संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों को [illegible]क्टर/मेडिकल प्रैक्टिशनर पंजीकृत ह[illegible]

*****